

क्रमांक 149/बो.प्र./नि.स./2019/
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /12/2019

अपीलार्थी

परमेश्वरी पैकरा पिता श्री रघुवीर सिंह
ग्राम कसडोल (हड़हापारा) जिला
बलौदाबाजार-भाटपारा

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी

श्री लाल बहादुर शाह
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परमेश्वरी पैकरा पिता श्री रघुवीर सिंह ग्राम कसडोल (हड़हापारा) जिला बलौदाबाजार-भाटपारा द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2019 द्वारा अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा वांछित जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को आवेदन पत्र दिये थे। अपीलार्थी द्वारा उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय से जानकारी प्राप्त न होने के कारण व्यथित होकर प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम अपील आवेदन-पत्र दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात् उभय पक्षों को सुनवाई हेतु पत्र क्र. 116097/16098, दिनांक 16.12.2019 द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2019 को समय दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र के पालन में प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए।
3. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के पत्र दिनांक 21.10.2019 के द्वारा चाही गई वांछित जानकारी इस कार्यालय के संबंधित विधानसभा प्रकोष्ठ से प्राप्त टीप अनुसार जानकारी उपलब्ध न होने के कारण आवेदन को धारा 6 (3)(ii) के तहत कार्यालयीन पत्र क्रं. सू.प्र. /4112275/107/छ.ग./2019/15331 दिनांक 02.12.2019 द्वारा मूलतः जनसूचना अधिकारी/अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को हस्तांतरित किया गया था। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी/अवर सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्रं. 3954/3360/31/स्था./2019 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 04.12.2019 द्वारा सीधे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसमें लेख किया गया है कि ध्यानाकर्षण सूचना क्रं. 699 अग्राह्य होने के कारण जानकारी निरंक है।
4. चूंकि आवेदक/अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई जानकारी जनसूचना अधिकारी/अवर सचिव, छ. ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। अतः प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण किया जाकर अपील प्रकरण निराकृत किया जाता है।

टस्ता/-

(व्ही.के. वच्छानी)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नया रायपुर

पृ. क्रमांक 149/बो.प्र./नि.स./2018/17542
प्रतिलिपि:-

दिनांक 30/12/2019

1. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग (RTI) वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. परमेश्वरी पैकरा पिता श्री रघुवीर सिंह ग्राम कसडोल (हड़हापारा) जिला बलौदाबाजार-भाटपारा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.के. वच्छानी)

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर